



प्रेस विज्ञप्ति
27.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 26.05.2026 को नशीले पदार्थों की सीमा पार तस्करी से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में चेन्नई और रामनाथपुरम में स्थित पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत आता है। तलाशी के परिणामस्वरूप धन शोधन के अपराध से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।

ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई दो अभियोजन शिकायतों के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की थी।

पहले मामले में, एक संयुक्त अभियान में, डीआरआई, चेन्नई जोन के अधिकारियों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों ने मंगलवार, 5 मार्च, 2024 की तड़के मन्नार की खाड़ी में एक देसी नाव को रोका और श्रीलंका को तस्करी की जा रही 99 किलोग्राम हशीश (जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 108 करोड़ रुपये है) जब्त की। दूसरे मामले में, डीआरआई अधिकारियों ने मदुरै रेलवे स्टेशन पर फिलोमेन प्रकाश से 37.645 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन (जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपये है) जब्त की, जब वह उक्त मादक पदार्थों को अपने सहयोगियों को आगे आपूर्ति करने के लिए चेन्नई से मदुरै ले जा रहा था।

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दोनों ही मामलों में नशीले पदार्थों की तस्करी का मास्टरमाइंड जॉन ब्रिटो था। वह प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त कर रहा था और रेमिस्तान, रामिश, जानसन और प्रताप नामक कुछ मछुआरों/नाव मालिकों की मदद से समुद्री मार्ग से उन्हें श्रीलंका में तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। इन मछुआरों/नाव मालिकों को जॉन ब्रिटो के निर्देश पर नशीले पदार्थों के परिवहन और आपूर्ति के बदले कमीशन मिलना था। अपने धंधों के लिए, जॉन ब्रिटो हवाला चैनलों के माध्यम से मालवाहकों और अपने रिश्तेदारों एवं करीबी सहयोगियों को भुगतान करता था। इन गतिविधियों से उसने और उसके सहयोगियों ने अपराध की आय अर्जित की। जांच में यह भी पता चला है कि जॉन ब्रिटो फरार है और विदेश से अपने गिरोह का संचालन कर रहा था।

आगे की जांच जारी है।